प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 08.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना हैदराबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 08.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना हैदराबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स/अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने में माल मुकदमाती के व्यवस्थित रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए । पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

<u>कस्बा निघासन स्थित राज ज्वैलर्स की दुकान में हुई चोरी का सफल अनावरण</u>

<u>श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ की सर्विलांस टीम व जनपद खीरी की एसओजी / स्वाट टीम एवं थाना निघासन, थाना पढ़ुवा पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार; भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण (कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपये), 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकल एवं 01 अदद मारूति वैन बरामद</u>

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी व क्षेत्राधिकारी महोदय निघासन के निर्देशन में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ की सर्विलांस टीम व जनपद खीरी की एसओजी / स्वाट टीम एवं थानाध्यक्ष निघासन, थानाध्यक्ष पढ़ुवा द्वारा दिनांक 07.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर कस्बा धौरहरा की तरफ रेकी के इरादे से जा रहे अभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों की लोकेशन पलिया से निघासन की पायी गई एवं कस्बा रकेहटी से आगे टाण्डा त्रिकोलिया मोड़ से 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर चोरी का माल ले जा रहे शेष 02 नफर अभियुक्त को शाहजहाँपुर सीतापुर नेशनल हाइवे पर मैगलगंज बाइपास के निकट माल सहित गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम

को 25,000 का नकद पुरस्कार व टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रशस्ति प्रत्र दिया जायेगा एवं घटना का सफल अनावरण करने वाली सभी टीम को व्यापार मंडल के द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

<u>उल्लेखनीय-</u> दिनांक 18/19.10.2023 की रात्रि को कस्बा निघासन में राज ज्वैलर्स की दुकान में चोरी की घटना कारित की गई जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना निघासन पर मु0अ0सं0 604/23 धारा 457/380/411/413 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियोग के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के द्वारा चार टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ की सर्विलांस टीम व जनपद खीरी की एसओजी / स्वाट टीम एवं थानाध्यक्ष निघासन, थानाध्यक्ष पढुवा द्वारा लोकल इन्टेलीजेंस, सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की घटना में संलिप्तता पायी गई। दिनांक 07.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर कस्बा धौरहरा की तरफ रेकी के इरादे से जा रहे अभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों की लोकेशन पलिया से निघासन की पायी गई एवं कस्बा रकेहटी से आगे टाण्डा त्रिकोलिया मोड़ से अभियुक्तगण 1. मनोहर उर्फ नन्हु पुत्र तिन्कु 2.भोला पुत्र बाबू निवासीगण ग्राम ईशापुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल (रजि0नं0 UP 27AS 7147) से जा रहे थे। अभियुक्त भोला उपरोक्त की जामा तलाशी से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तों ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि निघासन में जो चोरी हुयी थी । यह चोरी हम लोगों ने की थी तथा चोरी का माल हमारे साथी उचौलिया के रास्ते लखनऊ बेचने के लिए जा रहे हैं। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को साथ लेकर मैगलगंज बाईपास के पास अभियुक्तगण 3. कुंजा उर्फ वेदप्रकाश पुत्र हनमंत सिंह 4. अमित पुत्र महेश बाल्मीकि निवासीगण ग्राम भटपुर मिश्र थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ मौके पर भारी मात्रा में पीली व सफेद धातु के आभूषण, 01 अदद मोटरसाइकिल (हीरो स्प्लेन्डर रजि0 नं0 UP 27AJ1345) व 01 अदद मारूति वेन (रजि0 नंबर UP 27AP7553) की बरामदगी हुई है। वाहनों को सीज किया गया। चारों अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना में सम्मलित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-</u>

1.मनोहर उर्फ नन्हु पुत्र तिन्कु निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर
2.भोला पुत्र बाबू निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर
3. कुंजा उर्फ वेदप्रकाश पुत्र हनमंत सिंह निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर
4. अमित पुत्र महेश बाल्मीकि निवासी ग्राम भटपुर मिश्र थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर

<u>बरामदगी विवरण-</u>

03 अदद प्लास्टिक के डिब्बे मे 3770 अदद बिछिया कुल वजन 9.150 kg, 03 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 416 जोडी पायल कुल वजन करीब 26.430 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 29 डॉलर व 134 सिक्के सफेद धातु कुल वजन करीब 1.708 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 09 नेकलेस सफेद धातु कुल वजन करीब 790 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे 14 चोरी सफेद धातु कुल वजन करीब 01 kg 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे 24 चोटी फूल सफेद धातु कुल वजन करीब 612 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 17 करधनी सफेद धातु कुल वजन करीब 376 gm 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 03 करधनी , 02 जेवरी , 01 तौंफ , 01 हसली सफेद धातु कुल वजन करीब 1.517 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 900 अंगुठी सफेद धातु कुल वजन करीब 2.161 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 75 सुपारी सफेद धातु कुल वजन करीब 231 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 28 चोकोर ताबैज , 126 गोल ताबिज सफेद धातु कुल वजन करीब 306 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 13 चम्मच , 12 सुब –लाव सफेद धातु कुल वजन करीब 164 gm , 01 प्लास्टिक के डिब्बे में 85 जोडे कुन्डल सफेद धातु कुल वजन करीब 335 gm , 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 129 जोडी कडा सफेद धातु कुल वजन करीब 1.975 kg , 01 अदद प्लास्टिक में 567 पैडेट सफेद धातु कुल वजन करीब 645 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 16 गिलास सफेद धातु कुल वजन करीब 726

gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 19 प्लेट सफेद धातु कुल वजन करीब 1.187 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 20 कटोरी सफेद धातु कुल वजन करीब 510 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 07 नारियल गोला सफेद धातु कुल वजन करीब 268 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 05 लोटा सफेद धातु कुल वजन करीब 609 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 02 जोडी चप्पल सफेद धातु कुल वजन करीब 482 gm, 01 अदद प्लास्टिक में डिब्बे 32 जोडी हथ फूल सफेद धातु कुल वजन करीब 2.197 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 10 हार, 62 चैन कुल वजन करीब 1.887 kg ,01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 11 बोडा, 8 व्रसलैट सफेद धातु कुल वजन करीब 722 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 04 मछली , 26 सांप ,121 त्रिशुल, 4 छतर, 02 कहुआ तथा कुछ सफेद धातु की कतरन कुल वजन करीब 814 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 08 सिन्दुर दानी, 01 तुलसी, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 09 वाले , 5 जोडी झुमकी , 02 जोडी रिंग सफेद धातु कुल वजन करीब 240 gm बरामदशुदा कुल सफेद धातु पुर्ण का वजन 2.648 kg जो 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 26 जोडी पायल, 02 जोडी करघनी , 01 चैन , 01 मंगलशुत्र, 01 चिमटी । कुल नई व पुरानी सफेद धातु का वजन करीब 65.291 kg, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में एक लाल पर्स में 05 अदद हार पीली धातु कुल वजन करीब 71.5 gm, 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में एक लाल पर्स में 02 माला , 02 जोडी कुन्डल ,03 अंगुठी लेडीज, 01 अंगुठी जैन्डस, 02 जोडी बाला, 16 अदद बाली , 276 अदद फूल सभी पीली धातु कुल वजन करीब 82.00 gm बरामदशुदा कुल पीली धातु का वजन करीब 153.5 gm.

आपराधिक गतिविधि-

अन्तर्राज्यीय गिरोह है इस गिरोह द्वारा अन्य प्रान्तों में घटना किये जाने की बात सामने आयी है। एजेन्सियो से इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास भोला पुत्र बाबू उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 890/12 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बिलसांडा जनपद पीलीभीत
2.मु0अ0सं0 604/23 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना निघासन जनपद खीरी
3.मु0अ0सं0 634/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

सर्विलांस टीम आई0जी0 रेंज लखनऊ-01

1. उ0नि0 अवधेश प्रताप सिंह
2. उ0नि0 इफ़लाक अहमद खान
3. हे0का0 सुदीप कटियार
4. हे0का0 वारीस पाण्डेय
5. का0 अजीत सिंह

एसओजी टीम / स्वाट टीम जनपद खीरी-02

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव
2. का0 श्रीओम मिश्रा
3. का0 ललित कुमार
4. का0 विक्रान्त चौधरी

<u>टीम-03</u>

1.थानाध्यक्ष श्रद्धा सिंह थाना निघासन
2.व0उ0नि0 राममिलन यादव थाना निघासन
3.उ0नि0 आशीष सहरावत थाना निघासन
4.हे0का0 लवकुश यादव निघासन
5.का0 दिनेश कुमार थाना निघासन
6.का0 राहुल कुमार थाना निघासन
7.का0 प्रभात कुमार थाना निघासन

<u>टीम-04</u>

1. थानाध्यक्ष हनुमन्त लाल तिवारी थाना पढुआ
2. व0उ0नि0 राहुल सिंह थाना पढुआ
3. हे0का0 अतीश कुमार यादव थाना पढुवा
4. हे0का0 मो0 अली थाना पढुवा

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1300/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा थाना फरधान पुलिस द्वारा ग्राम परसेहरा बुजुर्ग में प्रा0 पाठशाला के पास राम सिंह के खेत मे कुल 03 अभियुक्तों को हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए पकड लिया जिनके पास से 52 ताश के पत्ते व माल फड़ 1150 रूपये तथा जामा तलाशी से कुल 150 रुपये बरामद हुए । अभियुक्तगण व माल को हिरासत पुलिस में लेकर थाना हाजा लाया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 515/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभि0गणः-</u>

1. सर्वेश पुत्र नेतराम लोहार
2. दीपक पुत्र जगदीश
3. राजू उर्फ अनुपम कुमार पुत्र गुडडू सर्व निवासीगण ग्राम परसेहरा बुजुर्ग थाना फरधान खीरी

<u>बरामद माल का विवरण :-</u>

52 ताश के पत्ते मय माल फड़ 1150 रूपये व जामा तालाशी 150 रू0

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र यादव
2.का0 सुनील कुमार,
3.का0 विशाल कुमार
4. का0 निशान्त कुमार

थाना खीरी पुलिस द्वारा, 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.11.2023 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मुखिबर की सूचना पर 03 नफर वारंटी अभियुक्त अभि0 अशोक पुत्र छत्रपाल नि0ग्रा0 चौवापुर पडरी थाना व जिला खीरी को चाऊपुर पडरी से व सर्वेश कुमार उर्फ पैरुलाल पुत्र इतवारी थाना व जिला खीरी तथा मैनुद्दीन पुत्र यूनुस निवासी मोहम्मदाबाद पुलिस चौकी ओयल थाना व जिला खीरी को अभियुक्तगण के गाँव मोहम्दाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण:-</u>

1-अशोक पुत्र छत्रपाल नि0ग्रा0 चौवापुर पडरी थाना व जिला खीरी
2-.सर्वेश कुमार उर्फ पैरुलाल पुत्र इतवारी थाना व जिला खीरी
3-मैनुद्दीन पुत्र यूनुस निवासी मोहम्मदाबाद पुलिस चौकी ओयल थाना व जिला खीरी

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1-अशोक पुत्र छत्रपाल खीरी संबंधित केस न0 566/14 सरकार बनाम हरिनाम अ0स0 869/12 धारा 307 भादवि न्याया0 अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश न्यायलय /एफटीसी न्यू0 लखीमपुर खीरी
2-सर्वेश कुमार उर्फ पैरुलाल पुत्र इतवारी केस न0 1712/22 धारा 128 द0प्र0स0 भादविन्याया0 प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय लखीमपुर –खीरी जनपद खीरी लखीमपुर खीरी
3-मैनुद्दीन पुत्र यूनुस निवासी मोहम्मदाबाद सम्बन्धित केस न0 812/23 धारा 128 द0प्र0स0 भादविन्याया0 प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय लखीमपुर –खीरी जनपद खीरी लखीमपुर खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण</u>

1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना व जिला खीरी
2-उ0नि0 श्री उदयभान मिश्रा थाना व जिला खीरी
3-हे0का0 कौशलेन्द्र प्रताप थाना व जिला खीरी
4-का0 शिखर पाण्डेय थाना व जिला खीरी
5-का0 शिवा कुमार थाना व जिला खीरी
6-का0 रंजीत कुमार थाना व जिला खीरी

"यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत" जागरूकता अभियान का आयोजन कर एलपीएस स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए किया गया जागरूक

दिनांक 07.11.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यातायात माह नवम्बर 2023 के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा लखनऊ पब्लिक स्कूल में यातायात जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यातायात जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्रांओं द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक छोटी सी प्रस्तुति दी गयी जिसमें लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट पहनने व मोबाइल से बात न करने का संदेश दिया गया तथा यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किये जाने के दौरान लोग किस तरह अपने पद और रुतबे का प्रदर्शन करते हैं कि आप मेरा चालान कैसे कर सकते हैं इसका भी संदेश इस प्रस्तुति में बच्चों द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम को तैयार करने में मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विजय सचदेवा, सुश्री सुकृति बरनवाल व अन्य विद्यालय प्रशासन की भूमिका रही। यातायात जागरूकता कार्यक्रम में प्रभारी यातायात खीरी द्वारा यातायात नियमों के बारे में बताया गया साथ ही साथ हेल्मेट लगाकर वाहन पर चलने तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ -चढ़कर भाग लिया तथा मौके पर यातायात नियमों के प्रति रुचि लेते हुए छात्र-छात्रांओं द्वारा यातायात पुलिस से यातायात सम्बन्धी प्रश्न पूंछे गये। कक्षा-06 की छात्रा रिशल सचदेवा, परिधि राज व छात्र अर्नव सिंह, अक्षत वर्मा, अर्पण बाजपेयी, अविरल वर्मा तथा कक्षा-10 के छात्र हर्षिल शुक्ला आदि द्वारा पूंछा गया कि लोग रॉग साइड ड्राइविंग क्यो करते हैं। क्या मोबाइल फोन में वाहन के कागजात दिखाये जा सकते हैं। एक्सीडेन्ट के दौरान जिनकी गलती नही होती है उनकी मदद/ सहायता पुलिस कैसे करती है। क्या लोगो को जूते पहनकर वाहन चलाना चाहिए, पुलिस हमारी मदद के लिए होती है फिर लोग क्यों कहते हैं कि पुलिस से डरना चाहिए इस विषय में प्रश्न पूंछे गये जिनका जवाब देते हुए टीएसआई मनीष पाठक ने बताया कि लोगों को य़ातायात नियमों का पालन करते हुए अपना वाहन अपनी निर्धारित व सही साइड में चलाना चाहिए गलत साइड वाहन चलाने से एक्सीडेन्ट की सम्भावना बढ़ जाती है। एक्सीडेन्ट में घायलों की मदद करने में की कोई कानूनी बाध्यता नही है तथा घायलों की मदद करने वालों को गुड सेमिरिटन भी चुना जायेगा। वाहन के कागजात डिजीलॉकर एप पर दिखाये जा सकते हैं जो कि मान्य हैं। छात्र- छात्राओं को आश्वस्त किया गया कि आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा एवं सहायता के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में बच्चों को यातायात जागरूकता सम्बन्धी पम्पलेट आदि वितरित किये गये

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 07 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 2890/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 07.11.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त संजय उर्फ छोटू पुत्र रामसेवक नि0ग्राम मन्यौरा थाना फरधान जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में मु०अ०सं० 514/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 190 लीटर अवैध शराब बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>190 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्ठी</u>** बरामद कर **<u>15 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>15 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।